अल्प कालीन निविदा सूचना

लोक निर्माण विभाग या अन्य शासकीय विभागों में पंजीकृत निर्माण कार्यो के अनुभवी एवं मान्यता प्राप्त तथा निम्न शर्तो को पूर्ण करने वाले ठेकेदारों से बन्द लिफाफे में निविदा दिनॉक 28.11.2016 को अपरान्हन 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं जो उसी दिन 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख गठित समिति द्वारा खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र दिनॉक 11.11.2016 स 26.11.2016 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित शुल्क(व्यापार कर सहित) जमाकर प्राप्त की जा सकती है।

क. सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य	धरोहर राशि 2 %	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता	श्रेणी (भवन निर्माण कार्य)
1	कहाल (जनपद नैनीताल) में पर्यटन विकास का निर्माण कार्य ।	1165.00	1.50 लाख	6 माह	1 माह	सी एवं उच्चतर

शर्तेः– किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय एवं **www.kmvn. gov. in** में देखी जा सकती हैं ।

निविदादाता को निम्न शर्तो का पालन करना अनिवार्य है:–

1– निविदा केवल पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय की जायेगी तथा उनके द्वारा निविदा क्रय करने से पूर्व पंजीयन प्रमाण–पत्र तथा सम्बन्धित कार्य की धरोहर धनराशि निर्धारित प्रारूप में (एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/कॉल डिपोजिट के रूप में महाप्रबन्धक(नि0) कु0म0वि0नि0 के नाम बन्धक होनी चाहिए) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2– निविदा के साथ रू0 **100/-** का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय हस्ताक्षरयुक्त रू0 1/- का रेवेन्यू टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक है ।

3– निविदा की धरोहर राशि एन.एस.सी./एफ.डी.आर./कॉल डिपोजिट के रूप में महाप्रबन्धक (नि0) के नाम बन्धक करना अनिवार्य है।

4– अपूर्ण, सर्शत एवं संदिग्ध निविदा किसी दशा में मान्य नहीं होगी ।

5– निविदा में मात्रायें घटाई एवं बढ़ाई जा सकती हैं जिसमें ठेकेदार का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।

6– अनुबन्ध गठन हेतु बुलाये गये समय तथा अनुबन्ध गठन करने के एक सप्ताह के अन्दर यदि कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तो निविदा/अनुबन्ध की धरोहर/जमानत धनराशि नियमानुसार जब्त की जायेगी।

7– अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक या एक से अधिक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

8– अनुबन्ध गठित करने पर शासनादेशों के अनुसार स्टाम्प डयूटी लगाना आवश्यक है।

9– निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है या त्रुटिपूर्ण माप के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान होने के कारण शासन को हानि भी पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में उस हानि की धनराशि की वसूली शासनादेश संख्या 983/23–999–11/96लो.नि.वि. के अनुभाग–9 लखनऊ दिनॉक 12 मई, 1999 के अनुच्छेद (2) निहित प्राविधानों अनुसार की जायेगी।

10– यदि शासन/उच्च अधिकारियों द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार केवल किये गये कार्य के भुंगतान का दावेदार होगा। शेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

11– निविदा के साथ शासकीय विभाग में पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

12– निविदा की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।

13– निविदा की दरें प्रतिशत में ही मान्य होगी तथा निर्धारित स्थान पर अंक व शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखि जानी चाहियें।

14– निविदा के साथ सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

महाप्रबन्धक(नि0)

कार्यालय कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 नैनीताल

पत्रांक 452 /10–77/निर्माण/15–16 दिनांक 10-11-2016

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

2– सहायक अभियन्ता,कुमायूँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल को शैयडूल 'बी' तैयार करने हेतु प्रेषित।

3– समस्त सहायक अभियन्ता,कु0म0वि0नि0 पिथौरागढ़,बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, काठगोदाम, रानीखेत,नैनीताल को व्यापक प्रचार हेतु ।

4– अधिशासी अभियन्ता, लो.नि.वि. प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

5– मुख्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु ।

6– अनुबन्ध पत्रावली हेतु ।

7– निविदा कम्पयूटर कक्ष को बेबसाईड में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8– कैशियर निर्माण खण्ड, निविदा विक्रय के समय निधारित प्रपत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदादाता को निविदा विक्रय करना सुनिश्चित करें।

महाप्रबन्धक(नि0)